रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2015/भाद्र 12, 1937
No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015/BHADRA 12, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 31 अगस्त, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/14/104/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, वार्षिकियों और अन्य लाभों हेतु न्यूनतम सीमाओं के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

क. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिये न्यूनतम सीमाऐं) विनियम, 2015 है ।

ख. उपर्युक्त यह विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सभी उत्पादों पर लागू होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होंगे ।

ग. प्राधिकरण उन उत्पादों को हटाने के लिए अलग अनुदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के अनुसार नहीं हैं, परंतु वर्तमान में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं और जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले अनुमोदित हैं।

घ. जब तक कि इन विनियमों में प्रावधान हो, तब तक इन विनियमों के लागू होने से पहले जारी की गई बीमा पॉलिसियों को अमान्य न समझा जाए।

2. **परिभाषाएँ :** इन विनियमों में, यदि यह संदर्भ लगते हैं :-

क. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

ख. "प्राधिकरण" से अभिप्राय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, जिसका गठन धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) द्वारा हुआ है।

ग. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम,1938 अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. **<u>जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित पॉलिसियों द्वारा रक्षित वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ</u>**

क. कोई जीवन बीमाकर्ता जारी की गई किसी भी बीमा पॉलिसी पर किसी लाभ अथवा बोनस को छोड़कर लाभ की निम्नलिखित से कम राशि अदा नहीं करेगा अथवा अदा करने का वचन नहीं देगाः

i. 1,000 रुपये प्रति माह की वार्षिकी

ii. 5,000 रुपये की सकल राशि (सूक्ष्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत देय राशि को छोड़कर)

iii. सूक्ष्म बीमा और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए 1,000 रुपये की सकल राशि

बशर्ते कि यह किसी पॉलिसी को किसी भी मूल्य की प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित करने अथवा किसी भी राशि के अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने के लिये किसी बीमाकर्ता को नहीं रोकेगा।

ख. विनियम 3(क) के अंतर्गत उक्त न्यूनतम लाभ समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम 2015 की प्रावधान सीमा तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किन्हीं अन्य निदेशों के अनुसार होंगे।

4. प्राधिकरण उपर्युक्त 3(क) में विनिर्दिष्ट राशि से कम वार्षिकियों और अन्य लाभों का अनुमोदन असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असा./161/15(192)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 31st August, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India
(Minimum Limits for Annuities and other Benefits)
Regulations, 2015

F. No.IRDAI/Reg/14/104/2015.—In exercise of the powers conferred under Section 114 (A) of the Insurance Act 1938 read with Section 26 of Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following Regulations, for Minimum Limits for Annuities and other Benefits.

1. **<u>Short title and Commencement</u>**
   - **a.** These Regulations shall be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015.
   - **b.** The above Regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall be applicable to all the products offered by the Life Insurers which are approved by the Authority after the date of notification of these Regulations.
   - **c.** The Authority may issue separate instructions for withdrawing the products which are not in compliance with these Regulations but are currently offered by the Life Insurers and which are approved by the Authority prior to the date of notification of these Regulations.
   - **d.** Unless otherwise provided by these Regulations, nothing in these Regulations shall deem to invalidate the insurance policies issued prior to these Regulations coming into force.

2. **Definitions**: In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
   - **a.** "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
   - **b.** "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
   - **c.** All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in Insurance Act 1938 or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. **<u>Minimum limits for Annuities and other Benefits secured by policies offered by Life Insurers:</u>**
   - **a.** No Life Insurer shall pay or undertake to pay an amount of benefit excluding any profit or bonus on any policy of insurance issued, less than:
     - i. Annuity of Rupees 1,000 per month
     - ii. Gross sum of Rupees 5,000 (Except under Micro Insurance and Health Insurance Business)
     - iii. Gross sum of Rupees 1,000 for Micro Insurance and Health Insurance Business:

   Provided that this shall not prevent any insurer from converting any policy into a paid-up policy of any value or payment of surrender value of any amount.
   - **b.** The Minimum Benefits under Regulation 3 (a) shall comply with the extant provisions of Insurance Regulatory and Development Authority (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2013, Insurance Regulatory and Development Authority (Linked Insurance Products)Regulations, 2013, Insurance Regulatory and Development Authority (Health Insurance) Regulations, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro-Insurance) Regulations, 2015 as amended from time to time and any other directions issued in this regard by the Authority.

4. The Authority may approve Annuities and other Benefits lower than the amount specified in 3 (a) above under extraordinary circumstances.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT- III /4/Exty./161/15(192)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.